संख्या-50/2020-ई0-1209297/58-2020-ई0ओ0-08/2020

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊः दिनांक 30 सितम्बर 2020**

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई (मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेंस) की स्थापना की परियोजनान्तर्गत अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-205/आर0के0वी0वाई0/हाईटेक नर्सरी/2020-21 दिनांक 24.08.2020, तथा कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश सं0-1153/12-3-2020-100(37)/2017टी.सी. दिनांक 19.08.2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 में एस0एल0एस0सी0 से हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई (मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेंस) की स्थापना की परियोजनान्तर्गत जनपद गोण्डा, बलरामपुर, बदायूं, अमरोहा एवं फिरोजाबाद में हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई की स्थापना हेतु अनुमोदित धनराशि रू0-520.00 लाख के सापेक्ष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त के स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि रू0-260.00 लाख (रू0 दो करोड़ साठ लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति कृषि अनुभाग-3 के उक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	**लेखाशीर्षक/मानक मद**	**एस.एल.एस.सी से अनुमोदित धनराशि**	**प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि**	**प्रशासकीय स्वीकृति की धनराशि**
हाईटेक नर्सरी सीडलिंग प्रोडक्शन इकाई (मिनी सेन्टर आफ एक्सीलेंस) योजना	अनुदान सं0-83 लेखाशीर्षक 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक-02-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (के060/रा040-के0 + रा0)-0202-उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की योजनायें (के060/रा040-के0 + रा0)			
	24-वृहद निर्माण कार्य	520.00	260.00	260.00
	योग	520.00	**260.00**	**260.00**

(रूपये दो करोड़ साठ लाख मात्र)

(1) उक्त धनराशि का व्यय एस0एल0एस0सी0 द्वारा अनुमोदित योजना/मद पर ही व्यय किया जायेगा। अन्य योजना/मदों/कार्यों पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, वित्त नियंत्रक, उद्यान

http://shasanadesh.up.gov.in

तथा सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि के व्यय किये जाने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(3) व्यय भारत सरकार/शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों के अधीन गाइड लाइन में निहित निर्देशानुसार ही किया जायेगा।

(4) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय को स्वीकृत धनराशि के अन्दर सीमित रखा जायेगा। अतिरिक्त धनराशि मिलने की प्रत्याशा में व्यय को किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से बढ़ाया नहीं जायेगा।

(6) अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथा समय समर्पित की जायेगी।

(7) अवमुक्त की गयी धनराशि का व्यय विवरण उद्यान अनुभाग, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0शासन तथा नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, कृषि निदेशालय, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

संख्या: 50/2020-ई-1209297(1)/58-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(2) महालेखाकार लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।
(5) नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई0, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
(7) सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी, उ0प्र0।
(7) कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0शासन।
(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in